[2020] 9 एस.सी.आर. 869

श्रेयस सिन्हा
बनाम

पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय न्यायिक विज्ञान और अन्य

(सिविल अपील संख्या 3085 ऑफ़ 2020) सितम्बर 09, 2020

[एल. नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता और एस० रवीन्द्र भट न्यायमूर्तिगण]

नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज (संशोधन) अधिनियम, 2018 पश्चिम बंगाल राज्य में रहने वाले छात्रों के लिए आरक्षण प्रदान करता है,–कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) आयोजित किया जाता है, अपीलकर्ता जिसने शैक्षणिक सत्र 2019–2020 के लिए विश्वविद्यालय के पांच वर्षीय कानून पाठ्यक्रम में प्रवेश मांगा था, ने तर्क दिया कि उक्त शैक्षणिक सत्र में आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया–रिट याचिका को उच्च न्यायालय ने अपील पर खारिज कर दिया: अवधारित किया गया संशोधन अधिनियम 21.05.2019 को तुरंत लागू हो गया, लेकिन अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि यह वर्तमान समय में चल रहे प्रक्रिया पर भी लागू होगा – प्रवेश प्रक्रिया जनवरी 2019 में शुरू की गई थी 30% की आरक्षण जिस तारीख को प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई, उस दिन आरक्षण का प्रावधान नहीं था। इस प्रकार, अगले शैक्षणिक वर्ष से आरक्षण प्रदान करने का विश्वविद्यालय का निर्णय संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के विरोधाभासी नहीं है,– उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है, अतः हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज एक्ट, 1999। अपील को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा: वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज एक्ट, 1999 में संशोधन के लिए विधेयक 16 नवंबर, 2018 को पेश किया गया था। इसे 21 मई 2019 को मंजूरी दी गयी व राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज (संशोधन) अधिनियम, 2018 तुरंत यानी 21 मई 2019 को लागू हुआ, लेकिन संशोधन अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि चल रही प्रवेश प्रक्रिया पर यह लागू होगा।। विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद ने 27 जुलाई, 2019 को आयोजित अपनी 36 वीं बैठक में निर्णय लिया कि पश्चिम बंगाल के निवासियों के लिए 30% आरक्षण अगले शैक्षणिक वर्ष से लागू किया जाएगा। अकादमिक परिषद का ऐसा निर्णय 10 अगस्त, 2019 को विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया। विश्वविद्यालय में कुल 127 सीटें हैं, जिसमें संशोधन से पहले राज्य के मूल निवासी उम्मीदवारों के लिए सीटें भी शामिल हैं। आरक्षित अतिरिक्त सीटें जनवरी, 2019 में शुरू हुई प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत के समय प्रदान की जानी थीं। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट में उपस्थित होने के इच्छुक प्रत्येक उम्मीदवार को राष्ट्रीय लॉ विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए तीन विकल्प देने की आवश्यकता है। उम्मीदवारों ने प्रत्येक राज्य की आरक्षण नीति को ध्यान में रखते हुए ये विकल्प दिए थे। चूंकि प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने की तारीख पर 30% सीटों की आरक्षण नीति उपलब्ध नहीं थी, इसलिए अगले शैक्षणिक वर्ष से आरक्षण प्रदान करने के विश्वविद्यालय के निर्णय को संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के विरोधाभासी नहीं कहा जा सकता है। अधिनियम उस शैक्षणिक वर्ष के संबंध में मौन है जिसमें आरक्षण का लाभ दिया जाना है। उम्मीदवारों ने संशोधित अधिनियम लागू होने से पहले ही विभिन्न राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन कर दिया था और विकल्प भी दे दिया था इसलिए, विश्वविद्यालय ने आरक्षण की छूट अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदान की। ऐसा निर्णय निष्पक्ष, उचित है और मनमाना नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा उल्लिखित निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं पाई गई। अतः इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 15.16 और 20](875–एफ–एच: 876–ए–ई: 877–ई]

एस. कृष्ण श्रृधा बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य व

अन्य. [2019] 15 एससीआर 93; अनुपाल सिंह एवं अन्य। वि. राज्य

के ऊपर। प्रमुख सचिव, कार्मिक के माध्यम से

विभाग एवं अन्य. (2020) 2 एससीसी 173– प्रतिष्ठित

पी. भीमा रेड्डी बनाम मैसूर राज्य एवं अन्य। (1969) 1 एससीसी

68: [1969] 3 एससीआर 14–संदर्भित

विधिक संदर्भ

[2019) 15 एससीआर 93 विशिष्ट पैरा 11 (2020) 2 एससीसी 173 विशिष्ट पैरा 12 [1969] 3 एससीआर 14 पैरा 14 संदर्भित

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3085/2020

कोलकाता में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 23.12.2019 में पारित निर्णय व आदेश से एम.ए.टी. 2019 का नंबर 1107।

पक्षकारों की आ◌ेर से उपस्थित अधिवक्तागण विकास सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, आनंद वर्मा, अभिषेक प्रसाद, धैर्य मदन, कुणाल चटर्जी, सुश्री। मैत्रेयी बनर्जी, प्रवर वीर मिश्रा, विनायक मेहरोत्रा, अमिता अग्रवाल, कुशाग्र अग्रवाल, कु. –राधिका यादव, सलाहकार।

निर्णय द्वारा

हेमंत गुप्ता न्यायमूर्ति

1. वर्तमान अपील में कलकत्ता उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश दिनांकित २३ दिसम्बर, 2019, को चुनौती दी ग◌ई है, जिसके तहत 22 जुलाई, 2019 को एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई थी।

अपीलकर्ता ने पश्चिम बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज द्वारा प्रस्तावित पांच वर्षीय कानून पाठ्यक्रम में पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन 1999 के आधार पर, जो 21 मई, 2019 को लागू हुआ, प्रवेश की मांग की थी! इस तरह के संशोधन अधिनियम में अन्य बातों के साथ–साथ पश्चिम बंगाल राज्य में रहने वाले छात्रों के लिए विश्वविद्यालय के कुल प्रवेश के कम से कम तीस प्रतिशत की सीमा तक सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। .संशोधन अधिनियम इस प्रकार है:
"1. (1) इस अधिनियम को पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जा सकता है।

(2) यह तुरंत प्रभाव में आएगा। 2. पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1999 में, धारा 4 के बाद, निम्नलिखित धाराएँ जोड़ी जाएंगी:– 4ए। (1) विश्वविद्यालय में ट्यूशन फीस ऐसी होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाएगी। (2) विश्वविद्यालय गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों को उनकी कुल संख्या का कम से कम पांच प्रतिशत ट्यूशन फीस में छूट देने की अनुमति देगा। नोट.– गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के निर्धारण के लिए प्रासंगिक मानदंड ऐसे होंगे जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

(3) विश्वविद्यालय अनिवार्य रूप से पश्चिम बंगाल राज्य में रहने वाले छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में कुल प्रवेश के कम से कम तीस प्रतिशत की सीमा तक सीटों के आरक्षण का प्रावधान करेगा।

4 बी. (1) विश्वविद्यालय में छात्र का प्रवेश योग्यता के आधार पर किया जाएगा। (2) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्यता या तो योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों या ग्रेड के आधार पर या विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रासंगिक प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों या ग्रेड के आधार पर या राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

3. 12 मई 2019 को कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट आयोजित करने के लिए देश के 21 राष्ट्रीय विधिक विश्वविद्यालयों के एक संघ द्वारा 5 जनवरी 2019 को एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसके लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2019 थी। यहां स्नातक प्रवेश प्रक्रिया में उम्मीदवार को संस्थान का विकल्प प्रदान किया गया था, जिसमें ऐसे उम्मीदवार योग्यता के आधार पर प्रवेश लेने के इच्छुक थे। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की तारीख बाद में बदलकर 26 मई 2019 कर दी गई, जिसमें अपीलकर्ता ने भाग लिया और 731 रैंक प्राप्त की। 14 जून 2019 को घोषित अखिल भारतीय मेरिट सूची में और उनकी पसंद के अनुसार, उन्हें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा में प्रवेश पाने के लिए चुना गया था, लेकिन स्वीकृत रूप से वह

ऐसे संस्थान में शामिल नहीं हुए।

4. विश्वविद्यालय ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट मेरिट सूची के आधार पर 127 सीटें भरने के लिए एक ब्रोशर जारी किया था। ब्रोशर के अनुसार, 74 सीटें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए थीं और 10 सीटें पश्चिम बंगाल के अधिवासित उम्मीदवारों के लिए थीं, जिनमें सामान्य श्रेणी के लिए 4 सीटें शामिल थीं।

5. अपीलकर्ता की शिकायत यह है कि 21 मई 2019 को जब अधिनियम में संशोधन किया गया था तब 30% सीटें पश्चिम बंगाल राज्य में रहने वाले छात्रों के लिए आरक्षित थीं। अधिनियम कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, आयोजित होने से पहले लागू हुआ था, लेकिन शैक्षणिक सत्र 2019–2020 में विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया था।

6. विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष विश्वविद्यालय का रुख यह था कि कंसोर्टियम प्रवेश के लिए राष्ट्र स्तर पर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट परीक्षा आयोजित करता है, सीट मैट्रिक्स के साथ-साथ उक्त परीक्षा के बारे में सामान्य जानकारी जनवरी, 2019 में वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। अपलोड की गई जानकारी में विभिन्न श्रेणियों में सीटों के कुल आवंटन की तालिका शामिल की गई थी। पश्चिम बंगाल की डोमिसाइल श्रेणी की सभी सीटें भर चुकी हैं। जबकि शेष रिक्त सीटों के लिए अभ्यर्थियों से रैंक के अनुसार उनकी स्वीकृति की पुष्टि करने को कहा गया है। सामान्य श्रेणी में प्रवेश पाने वाले अंतिम उम्मीदवार की रैंक 262 है, जबकि अपीलकर्ता की रैंक 731 है। यह भी तर्क दिया गया कि संशोधन अधिनियम का प्रभाव भविष्यलक्षी है और इसे प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में लागू नहीं किया जा सकता है जो पहले ही शुरू हो चुकी है। जनवरी 2019 संशोधन अधिनियम लागू होने से पहले प्रवेश की विस्तृत प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी और छात्रों ने उपलब्ध राष्ट्रीय विधिक विश्वविद्यालयों के विकल्पों के आधार पर प्रवेश के लिए अपना विकल्प दिया था।

7. उच्च न्यायालय की विद्वान एकल पीठ ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए रिट याचिका खारिज कर दी कि संशोधन अधिनियम का प्रभाव भविष्यलक्षी है। सामान्य श्रेणी से प्रवेश पाने वाले अंतिम उम्मीदवार की रैंक 262 है जबकि अपीलकर्ता की रैंक 731 है। संशोधन अधिनियम के संदर्भ में, 34 सीटें पश्चिम बंगाल राज्य में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं, जो कि कुल 30% हैं। ऐसी सीटों को अनारक्षित श्रेणी से हटाकर मूलवासी श्रेणी में जोड़ा जाएगा तो इससे पूरी प्रवेश प्रक्रिया बाधित होगी।' जिन अभ्यर्थियों को पहले ही विकल्प के अनुसार देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों में सीटें आवंटित की जा चुकी हैं, उनके साथ गंभीर पूर्वाग्रह होगा।

8. अपील में, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष, विश्वविद्यालय की ओर से एक हलफनामा दायर किया गया था, और कहा गया था कि प्रवेश का पहला दौर 4 जुलाई, 2019 को पूरा हो गया था और उसके बाद 23 जुलाई, 2019 को अंतिम रिक्त सीटें आवंटित की गईं। विश्वविद्यालय ने 27 जुलाई, 2019 को विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सिफारिश के आधार पर 10 अगस्त, 2019 को विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के संकल्प को संलग्न किया। यह निर्णय लिया गया कि आरक्षण का लाभ संशोधन अधिनियम के संदर्भ में अगले शैक्षणिक वर्ष यानी 2020–2021 से दिया जाएगा।

9. डिवीजन बेंच ने एकल बेंच द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की पुष्टि की, यह मानते हुए कि संशोधन अधिनियम का प्रभाव भविष्यलक्षी है और पश्चिम बंगाल अधिवासित श्रेणी के तहत सभी सीटें पहले ही भरी जा चुकी हैं ताकि बंगाल में अधिवासित छात्रों को अन्य राज्यों में स्थानांतरित होने से रोका जा सके। यह माना गया कि संशोधन अधिनियम की धारा 4 ए की उप-धारा (3) से यह स्पष्ट है कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को प्रदान किया गया आरक्षण कानून लागू होने के बाद शुरू होने वाले सत्र के लिए है। यह भी माना गया कि विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षण की तर्कसंगतता और निष्पक्षता से किसी भी तरह से समझौता नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा कि संशोधन अधिनियम प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के बाद लागू हुआ है, इसलिए इस तरह का संशोधन अधिनियम प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के बाद खेल के नियमों को बदलने जैसा होगा।

10. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध विशेष अनुमति याचिका में। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस इस सवाल तक सीमित था कि क्या विपक्षी को वर्ष 2020–2021 के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए समायोजित किया जा सकता है।

11. अपीलकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास सिंह ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि चूंकि संशोधन अधिनियम तुरंत लागू हुआ, इसलिए विश्वविद्यालय उन छात्रों को आरक्षण प्रदान करने के लिए बाध्य है जो पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। चूंकि 21 मई 2019 को संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद परीक्षा आयोजित की गई थी, अपीलकर्ता ने मूल निवासी होने का लाभ विश्वविद्यालय द्वारा नहीं दिया जाना अनुचित, अवैध और संशोधन

अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। यह भी तर्क दिया गया था कि अपीलकर्ता एकमात्र उम्मीदवार था जिसने पश्चिम बंगाल के मूल निवास उम्मीदवारों के लिए निर्धारित सीटों पर प्रवेश मांगा था, इसलिए, उसे योग्यता सूची से बाहर प्रवेश दिया जाना चाहिए। अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के फैसले में एस. कृष्णा श्रद्धा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य में निर्देश (iii) पर बल दिया गया। यह तर्क देने की बात कही गई है कि यदि एक मेधावी उम्मीदवार को उम्मीदवार की गलती के बिना इस कारण से कि कट-ऑफ तिथि बीत चुकी है, प्रवेश से वंचित कर दिया गया है, तो यदि उम्मीदवार ने जल्द से जल्द और बिना किसी देरी के अदालत का दरवाजा खटखटाया है, तो वह अगले सत्र में प्रवेश प्राप्त करने का अधिकारी है। अदालत सीटों की संख्या बढ़ाने का निर्देश देकर ऐसे उम्मीदवार को अगले शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश देने का निर्देश दे सकती है। यदि यह पाया गया कि प्रबंधन की गलती थी और उसने गलत तरीके से मेधावी उम्मीदवार को प्रवेश देने से इनकार कर दिया, तो अदालत प्रबंधन कोटा में सीटों की संख्या कम करने का निर्देश दे सकती है।

12. अनुपाल सिंह एवं अन्य उत्तर प्रदेश राज्य प्रधान सचिव के माध्यम से. कार्मिक विभाग एवं अन्य में पारित निर्णय इस तर्क पर बल दिया गया तथा कहा गया कि संशोधन अधिनियम चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद खेल के नियमों को बदलने के बराबर नहीं है। #2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 1609 (2020) 2 एससीसी 173

13. दूसरी ओर, विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री चटर्जी ने तर्क दिया कि वर्तमान 10 के कोटा के सापेक्ष पश्चिम बंगाल के मूल निवासी छात्रों की श्रेणी में प्रवेश पाने वाला अंतिम उम्मीदवार मेरिट रैंक नंबर 356 पर था, जबकि, अपीलकर्ता की रैंक संख्या 731 है। विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद का निर्णय संशोधन अधिनियम के संदर्भ में था क्योंकि विश्वविद्यालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य आरक्षण प्रदान करने का संकल्प लिया था कि प्रवेश प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और विकल्प विभिन्न राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए उम्मीदवारों को पहले ही अनुमति दे दी गई थी। बड़ी संख्या में कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट देने वाले उम्मीदवारों के कारण ऐसे चरण में प्रवेश के विकल्प में कोई भी बदलाव संभव नहीं होगा। इसलिए, विश्वविद्यालय ने अगले शैक्षणिक वर्ष से संशोधन अधिनियम के अनुसार आरक्षण का लाभ देने का निर्णय लिया था। यह तर्क दिया गया कि भले ही पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों के लिए मूल निवास का विकल्प अपीलकर्ता को उपलब्ध कराया गया था, फिर भी, उसके पास मेरिट सूची में अपनी रैंक रखते हुए विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने की संभावना कम ही थी।

14. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने पी भीमा रेड्डी बनाम मैसूर राज्य और अन्य में इस न्यायालय के निर्णय का आधार लिया संशोधन अधिनियम के "तुरंत" प्रारंभ होने की अर्म अधिनियम के उचित समय के भीतर प्रारम्भ होने से है। विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद का निर्णय उचित समय के भीतर लिया गया था और इसे मनमाना नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रवेश प्रक्रिया तत्कालीन संशोधन अधिनियम लागू होने से पहले शुरू की गई थी। अतः शैक्षणिक सत्र 2019-2020 से अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी किया जाना संभव नहीं था। इस प्रकार, अगले शैक्षणिक सत्र से संशोधित अधिनियम का लाभ देने की विश्वविद्यालय की कार्रवाई को अनुचित नहीं कहा जा सकता है और यह संशोधन अधिनियम के संदर्भ में एक उचित निर्णय है।

15. अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक 16 नवंबर, 2018 को पेश किया गया था। इसे 21 मई 2019 को मंजूरी दी गई और राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। संशोधन अधिनियम तुरंत यानी 21 मई 2019 को लागू हो गया। संशोधन अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि यह गतिशील प्रवेश प्रक्रिया पर लागू होगा। विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय में कुल प्रवेश के कम से कम 30% की सीमा तक सीटों का अनिवार्य आरक्षण प्रदान करने का आदेश दिया गया था, लेकिन जिस वर्ष से कहा गया कि प्रवेश आरक्षित होना निर्धारित नहीं था विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद ने 27 जुलाई, 2019 को आयोजित अपनी 36 वीं बैठक में निर्णय लिया कि पश्चिम बंगाल के निवासियों के लिए 30% आरक्षण अगले शैक्षणिक वर्ष से लागू किया जाएगा। अकादमिक परिषद के इस निर्णय को 10 अगस्त, 2019 को विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था।

16. विश्वविद्यालय में कुल सीटें 127 हैं जिनमें संशोधन से पहले राज्य के मूल निवासी उम्मीदवारों के लिए निश्चित सीटें भी शामिल हैं। आरक्षित अतिरिक्त सीटें जनवरी, 2019 में शुरू हुई प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत के समय प्रदान की जानी थीं। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट में उपस्थित होने के इच्छुक प्रत्येक उम्मीदवार को राष्ट्रीय विधिक विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए तीन विकल्प देने की आवश्यकता है। उम्मीदवारों ने प्रत्येक राज्य की आरक्षण नीति को ध्यान में रखते हुए ये विकल्प दिए थे। चूंकि प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने की तारीख पर 30% सीटों की आरक्षण नीति उपलब्ध नहीं थी, इसलिए अगले शैक्षणिक वर्ष से आरक्षण प्रदान करने के विश्वविद्यालय के निर्णय को संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के विरोधाभासी नहीं कहा जा सकता है। अधिनियम उस शैक्षणिक वर्ष के संबंध में मौन है जिसमें आरक्षण का लाभ दिया जाना है। संशोधित अधिनियम के लागू होने से पहले ही

उम्मीदवारों ने विभिन्न राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन कर दिया है और विकल्प दिया है। इसलिए, विश्वविद्यालय ने आरक्षण का लाभ अगले शैक्षणिक सत्र से दिए जाने का निर्णय किया। हम इस तरह के निर्णय को निष्पक्ष, उचित मानते हैं और यह मनमाना नहीं है।

17. श्री विकास सिंह द्वारा संदर्भित कोई भी निर्णय प्रस्तुत किए गए तर्कों के लिए सहायक नहीं है। अनुपाल सिंह के मामले में, उत्तर प्रदेश राज्य में अधीनस्थ कृषि सेवा के कैडर में रिक्तियों के विभाजन को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह चयन प्रक्रिया के बीच में खेल के नियमों को बदलने के समान है। हालाँकि, विभिन्न श्रेणियों के बीच सीटों का विभाजन वैधानिक प्रावधानों के अनुसार सीटों की गलत गणना के कारण हुआ था। यह माना गया कि सीटों के विभाजन में इस तरह का संशोधन खेल के नियमों में बदलाव के समान नहीं है क्योंकि क़ानून के प्रावधानों के अनुसार सीटों की गलत गणना के कारण यह आवश्यक हो गया था।

18. कृष्णा श्रद्धा में पारित निर्णय तभी लागू होता जब किसी मेधावी उम्मीदवार को प्रवेश से वंचित कर दिया गया हो। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता को शैक्षणिक सत्र 2019-2020 में मेधावी उम्मीदवार नहीं बनाया जा सकता है। विश्वविद्यालयों द्वारा अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2020 से उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ दिया गया था चूंकि संशोधन अधिनियम में शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 में आरक्षण का लाभ देने का कोई आदेश नहीं है। इसलिए, विश्वविद्यालय ने सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सही माना है कि आरक्षण का लाभ अगले शैक्षणिक वर्ष से बढ़ाया जाए क्योंकि प्रवेश प्रक्रिया आने से पहले ही शुरू हो चुकी थी।

19. हमने यह भी पाया है कि श्री चटर्जी द्वारा संदर्भित निर्णय प्रस्तुत किए गए तर्कों के लिए सहायक नहीं है। यह प्रकरण एक सफल निविदाकर्ता से संबंधित था, जिसे इसलिए लाइसेंस नहीं दिया गया था क्योंकि वह अचल संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करने और निर्धारित नियमों के अनुसार कुछ निश्चित जमानत देने में विफल रहा था। इन परिस्थितियों में, न्यायालय ने माना कि अभिव्यक्ति "तुरंत" की व्याख्या उचित समय के भीतर की जानी चाहिए। वर्तमान मामले में संशोधन अधिनियम आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू हुआ। चूंकि संशोधित अधिनियम इस बात पर विचार नहीं करता है कि आरक्षण का लाभ गतिशील शैक्षणिक सत्र में दिया जाना है, इसलिए, विश्वविद्यालय अगले शैक्षणिक सत्र से लाभ बढ़ाने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र था।

20. हमें उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय में पारित दिए गए निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं है न ही विश्वविद्यालय का यह निर्णय संशोधन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता, जो वर्तमान अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हर्जे के सम्बन्ध में किसी आदेश के बिना अपील खारिज की जाती है।

दिव्या पांडे की अपील खारिज की जाती है।

(विधि सिंघल)
सिविल जज (अ०ख०)/एफ०टी०सी०
महिलाओं के विरूद्ध अपराध का विचारण
सुलतानपुर।